सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
(विकास भवन, द्वितीय तल, बेली रोड़, पटना)
द्वारा
आउटसोर्सिंग के आधार पर अभिलेखों की स्कैनिग एवं डिजिटाइजेशन हेतु निविदा का आमंत्रण।

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा एतद् द्वारा इच्छुक निबंधित सॉफ्टवेयर एजेंसियों से विभाग द्वारा संधारित संचिकाओं, पंजियों एवं अन्य अभिलेखों के स्कैनिंग तथा डिजिटाइजेशन हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निबंधित एजेंसियाँ दिनांक–18.11.2019 के अपराह्न 2.00 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन मुहरबंद लिफाफा (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में) निविदा अवर सचिव, सहकारिता विभाग, विकास भवन, (द्वितीय तल), बेली रोड़, पटना के कार्यालय कक्ष में प्रत्येक कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को अपराह्न 5.00 बजे तक उपलब्ध करा सकते है। डाक से प्रेषित निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

(ii) निविदा विभागीय क्रय समिति के समक्ष दिनांक–18.11.2019 को अपराह्न 4.00 बजे संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। निविदा खुलने के समय निविदादाता को स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि का उपस्थित रहना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा पहले खोली जाएगी तथा इसमें सफल निविदाकारों के हीं वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।

(iii) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मोहरबंद लिफाफों में देना होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि ₹ 10,000/– (दस हजार) रू० मात्र का डिमांड ड्राफ्ट जो अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में देय हो, अथवा मो.–10,000/–(दस हजार) रू० का राष्ट्रीय बचत पत्र (वचनबद्ध (Pledge) कराया हुआ निविदा के साथ जमा करना होगा। अस्वीकृत निविदा का अग्रधन वापस कर दिया जाएगा।तकनीकी निविदा की शर्तें कंडिका–2 में अंकित है। वित्तीय निविदा के तहत् वांछित सेंवाएँ यथा प्रति पृष्ठ स्कैनिंग की दर तथा अधोलिखित अन्य सेवाओं की दर अंकित करनी होगी।

2. निविदाकर्त्ता के लिए निम्नलिखित तकनीकी अर्हताएँ आवश्यक होगी :–

(a) डाटा स्कैनिंग तथा स्टोरेज का कम से कम दो वर्षों का कार्यनुभव।
(b) फर्म का जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण–पत्र।
(c) पैन संख्या।
(d) कंपनी/स्वामित्व/पार्टनरशीप का निबधन प्रमाण–पत्र।
(e) विगत एक वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
(f) प्रेजेन्टेशन दिया जाना अनिवार्य होगा (पावर पाइन्ट प्रेजेन्टेशन निविदा के साथ संलग्न करना होगा)।
(g) स्कैनिंग तथा स्टोरेज के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना–यथा कार्यबल तथा कम्प्यूटर, स्कैनर, सर्वर आदि फर्म के पास उपलब्ध होना चाहिए।
(h) निविदाकर्त्ता द्वारा क्रमांक (b) से (f) तक के प्रमाण पत्र/PPT निविदा के साथ जमा करना होगा।

3. सामान्य अनुदेश :–

(a) निविदा अभिलेख फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सभी संलग्न अभिलेखों को हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(b) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के आवेदनों को वांछित कागजात संलग्न कर अलग–अलग लिफाफे में तकनीकी एंव वित्तीय निविदा लिखकर तथा बंद कर उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डालकर मुहरबंद करते हुए लिफाफा पर शीर्ष " सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय हेतु ई–स्कैनिंग व डिजिटाइजेशन की निविदा" लिखकर जमा करना होगा। अर्हताओं से संबंधित कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय तथा मूल प्रति मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

4. कार्य की प्रकृति :–

(i) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के कोषांगों / प्रशाखाओं से प्राप्त आवेदनों / पत्रों / संचिकाओं / अभिलेखों को प्राप्त करना।

(ii) संचिकाओं / अभिलेखों के बाहरी कवर को बदलना।

(iii) संचिकाओं / पंजियों / अभिलेखों के सभी पृष्ठों को PDF फारमैट में स्कैन करना।

(iv) PDF File को वेब आधारित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।

(v) सॉफ्टवेयर में आवश्यक डाटा की प्रविष्टि ।

(vi) संबंधित शाखा / कोषांगों से प्राप्त पत्रों / आवेदनों / संचिकाओं / अभिलेखों को वापस लौटाना अथवा निर्धारित कॉम्पैक्टर स्थल पर कार्यालय में इन्हें रखवाना।

(vii) वेब आधारित सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाना।

(viii) फाइल मैनेजमेंट सिस्टम।

(ix) डाटा डिजिटाइजेशन।

(x) संचालन व रखरखाव।

5. अन्य शर्तें :–

1. अभिलेखों के क्षतिग्रस्त होने पर प्रतिपूर्ति की जवाबदेही फर्म की होगी।
2. सेवा में टूट होने पर जमानत राशि जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
3. चयनित निविदादाता द्वारा सेवा उपलब्ध न कराने पर उपरोक्त अर्हता पूरी करने वाले अन्य निविदादाता से सेवा प्राप्त की जायेगी।
4. सफल निविदादाता को विभाग के साथ एकरारनामा करना होगा।
5. निविदा को बिना सूचना एवं कारण बताये रद्द करने का अधिकार संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सुरक्षित रहेगा। विस्तृत जानकारी एवं शर्त्तों के लिए सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

23/10/19

सरकार के अवर सचिव
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना